न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–41/2021

1. श्री सुखलाल पिता शंकरलाल जाति माली आयु वयस्क निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

—— वादीगण

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी महोदय नगरपालिका छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ .
2. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ राज.

—— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री पप्पू वैष्णव – अभिभाषक वादी
श्री विजय साहु – अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 01.11.2021

1. वादी द्वारा उक्त वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाके मोजा छोटीसादडी प. ह. छोटीसादडी की आराजी नम्बर 1011 रकबा 0.36 हे. मे से 1/3 हक हिस्से को अपने नाम घोषित कराने बावत पेश किया गया है। जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि वाके मोजा छोटीसादडी प. ह. छोटीसादडी की आराजी नम्बर 1011 रकबा 0.36 हे. स्थित है उक्त आराजियात वादी के पिता शंकरलाल की पैतृक आराजीयात थी तथा उनकी फोत के बाद विरासत से उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई जिसमे से अन्य सहखातेदारो ने अपने हिस्से की जमीन का रूपान्तरण करवाया जिस दौरान राजस्व अधिकारी एवं नगरपालिका द्वारा सवंहन से वादी के बिना सुने बगैर सम्पूर्ण आराजीयात को स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 2413 दिनांक 12.01.2018 के द्वारा

आबादी में दर्ज कर लिया जबकि वादी आज भी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त है अतः वादी का वाद स्वीकार कर मोजा छोटीसादडी प. ह. छोटीसादडी की आराजी नम्बर 1011 रकबा 0.36 हे. मे से 1/3 हक हिस्से को वादी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे।

2. वाद बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन सुचित किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 01 की और से अधिवक्ता श्री विजय साहु द्वारा अधिकार पत्र पेश कर जवाब दावा पेश किया गया जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद पत्र मे अंकित तथ्यो से इंकार किया गया। तथा प्रतिवादी क्रमांक 02 की तरफ से जवाब दावा पेश किया जिसमे नगरपालिका द्वारा उक्त भूमि समर्पण बाबत तहसीलदार से अनापत्ति नही ली गई है बताया व रिकार्ड अनुसार शुद्धि किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की।

3. उभयपक्षो के अभिवचनो के आधार पर निम्नाकित विवाघको की विरचना की गई —

1. आया मौजा छोटीसादडी पटवार हल्का छोटीसादडी की आराजी संख्या 1011 रकबा 0.36 है. का 1/3 भाग वादी अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी है।

2. आया वादी द्वारा पेश वाद में अंकित कथन गलत होने से वाद खारीज कराने के अधिकारी है।

3. अन्य अनुतोषः—

विवाघक संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर एवं विवाघक संख्या 2 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है तदुपंरात प्रकरण को वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नीयत किया गया। वादी द्वारा अपना शपथ पत्र पेश किया गया एवं अपने वाद पत्र मे अंकित तथ्यो का समर्थन शपथ पत्र के माध्यम से किया गया।

साक्ष्य के दोहराव से बचने के लिए विवाघक संख्या 1 व 2 का विवेचन एक साथ किया जाना उचित प्रतीत होता हे क्योकि उक्त विवाघक के समर्थन मे वादी द्वारा एक ही साक्ष्य पेश की गई है वादी द्वारा अपने बयान के चीफ मे शपथ पुर्वक कथन किया गया कि नगरपालिका द्वारा सूमोटो 90—B की कार्यवाही की गई जबकि मेरे हिस्से की भूमि खाली होकर कोई निर्माण कार्य नही किया हुआ है वाद पत्र व शपथ पत्र मे अंकित

तथ्यो का सही एवं सत्य होना स्वीकार किया गया एवं अपने वाद पत्र के समर्थन मे नकल जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 प्रदर्श 3 को प्रदर्शित कराया गया वकील प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का जिरह नही किया गया अत विवाघक संख्या 1 को वादी अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रही है।

विवाघक संख्या 2 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के साथ भी कोई दस्तावेजात पेश नही किये गये है और प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु बार बार अवसर देने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के समर्थन मे कोई साक्ष्य भी पेश नही की गई जिस कारण से प्रकरण को वास्ते बहस हेतु नीयत किया गया। प्रतिवादीगण अपने विवाघक को साबित करने मे असफल रहा है।

4. पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि मोका रिपोर्ट प्रकरण मे पुर्व मे ही पटवार हल्का द्वारा प्राप्त हो चुकी है जिसमे भी 0.11 है. भूमि पर वादी का कब्जा बताया गया है तथा काश्त की जा रही है।

5. बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। साक्ष्य एवं दस्तावेजात से यह जाहिर होता है कि उक्त विवादित आराजियात के 1/3 भाग पूर्व में वादी के नाम दर्ज रिकार्ड था वादी ने साक्ष्य में अपने शपथ पत्र में बयान किया की राजस्व अधिकारियो व नगरपालिका द्वारा सूमोटो 90–B की कार्यवाही कर सहवन से नगरपालिका के नाम दर्ज कर दी। प्रतिवादी द्वारा न ही कोई मौखिक या लिखित साक्ष्य पेश किया जिससे वादी के वाद के बिन्दु अखण्डनीय रहे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानो को भी देखा जावे तो यह स्पष्ट है कि मोखिक साक्ष्य की अपेक्षा लिखित साक्ष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए एवं सभी प्रकरणो मे लिखित साक्ष्य को ही उत्तम साक्ष्य की मान्यता प्रदान की जाती है। उक्त तथ्यो को मददेनजर रखते हुए वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित होकर न्यायसंगत है। वादी द्वारा दस्तावेज एवं बहस को मददेनजर रखते हुए वादग्रस्त आराजियात आराजी नम्बर 1011

रकबा 0.36 हे. के 1/3 भाग को अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी है परन्तु जमाबन्दी 2075 से 2078 का अवलोकन करने पर जाहिर हुआ कि उक्त आराजी संख्या 1011 का रकबा 0.335 हैक्ट है अतः उक्त अनुसार 1/3 हिस्सा 0.11 हैक्ट को राजस्व अभिलेख मे अपने नाम अंकित कराने हेतु साक्ष्य एवं दस्जावेज के माध्यम से वाद साबित करने मे सफल हुआ है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का वाद सभी तथ्यो के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाके मोजा छोटीसादडी प.ह. छोटीसादडी की आराजी नम्बर 1011 रकबा 0.335 हैक्ट0 मेसे 0.11 हैक्ट0 पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता है कि उक्त आशय अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के नाम विलोपित किया आराजी नम्बर 1011 रकबा 0.335 हैक्ट0 मेसे 0.11 हैक्ट0 को वादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। डिक्री पृथक से जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़

मुल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्याः–41/2021

1. श्री सुखलाल पिता शंकरलाल जाति माली आयु वयस्क निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

–– वादीगण

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी महोदय नगरपालिका छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ .
2. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ राज.

–– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट 1955

दिनांकः–01.11.2021

यह मुकद्मा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस. व हाजरी अधिवक्ता वादी श्री पप्पु वैष्णव मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री विजय साहू मिनजानिब मुद्दायल पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है कि मोजा छोटीसादडी प.ह. छोटीसादडी की आराजी नम्बर 1011 रकबा 0.335 हैक्ट0 मेसे 0.11 हैक्ट0 पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता है कि उक्त आशय अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के नाम विलोपित किया आराजी नम्बर 1011 रकबा 0.335 हैक्ट0 मेसे 0.11 हैक्ट0 को वादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावें।

खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी की गयी।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़ (राज0)

वाद के खर्चे

मुदई			मुदायल		
	रूपया	पैसे		रूपया	पैसे

1 स्टाम्प आराजी दावा 2 स्टाम्प वकालात नामा 3 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 4 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 5..... रूपये पर प्लीडर की फीस 6 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 7 कमिश्नर की फीस 8 आदेशिका की तामिल	01 02		1 स्टाम्प आराजी दावा 2 स्टाम्प वकालात नामा 3 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 4 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 5..... रूपये पर प्लीडर की फीस 6 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 7 कमिश्नर की फीस 8 आदेशिका की तामिल		
जोड़	03		जोड़		

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज0)